

कार्यालय आदेश सं०- 648/2020

इस कार्यालय का पत्रांक-का०/283/याँ/समाडी/अरे०स्था०/सोन.दिनांक-20.12.2020 एवं मरेप्र/का०/कटिहार/पूर्वी सीमांत रेल का पत्रांक-E/283/IR-ID/Tfr./EM/Pt.II दिनांक-23.06.2020 द्वारा श्रीमति शकुन्तला देवी,हेल्पर समाडी/गड़हरा एवं श्री मुकेश कुमार,हेल्पर समाडी/ सिलीगुड़ी,कटिहार मंडल पूर्वी सीमांत रेल के बीच जीपी-1800 लेवल-1 में अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण पर दोनों रेल की सहमति प्राप्त है। अतः रेल परिषद् के पत्र सं०-ई/एनजी/1/2017/टीआर/24 दिनांक-09.05.2018 के आलोक श्रीमति शकुन्तला देवी,हेल्पर समाडी/गड़हरा को पारस्परिक स्थानांतरण पर कटिहार मंडल, पूर्वी सीमांत रेल विरमित किया जाना है।

कर्मचारी को निम्न शर्तों के साथ इस कार्यालय को विरमित करे:-

- (I) विरमन के समय कर्मचारी DAR/SPE/VIg केश से मुक्त हो।
- (II) नियमानुसार दोनों कर्मचारीयो को किसी प्रकार का भत्ता तथा सीटीजी/पास/ स्थानांतरण अवकाश देय नहीं होगा।
- (III) नियमानुसार दोनों कर्मचारी पुराने मंडल में दुबारा स्थानांतरण नहीं लेंगे।
- (IV) वरीयता पारस्परिक स्थानांतरण के नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा।

(बिजय इंजीनियर)

सकाधि-III

कृते मरेप्र (का०)/सोनपुर

दिनांक:-03.12.2020

सं०:- का/283/अरे०अम०/स्थानांतरण/यांत्रिक/समाडी/सोन

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचर्नाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01.वमयाई/समाडी/सोनपुर

02.मरेप्र/का०/कटिहार,

04.सयाई/बरौनी, 05.सि०से०ई/समाडी/गड़हरा

05.सम्बंधित कर्मचारी

3.12.2020

कृते मरेप्र (का०)/सोनपुर